संदर्भ संख्या ६३ए/६६२६ १० मार्च ०७

श्री डी०सी० लाखा, आई०ए०एस०,
औद्योगिक विकास आयुक्त,
उ०प्र०शासन,
सचिवालय, एनेक्सी,
लखनऊ

विषय :- नगरीय निकाय की सीमा के भीतर पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव की व्यवस्था एवं इस सीमा के भीतर यू०पी०एस०आई०डी०सी०द्वारा भी मेन्टिनेन्स चार्जेज लिए जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नगरीय विकास विभाग के शासनादेश संख्या ७६६/नौ-६-२००३-६-ज /६६ दिनांक ८ अप्रैल ०३ (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार नगरीय निकाय की सीमा के भीतर आने वाले यूपीएसआईडीसी उद्योग निदेशालय तथा सहकारी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रो का रख-रखाव उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किये जाने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रो से वसूले जाने वाले विभिन्न कर/यूजेज चार्जेज की ६० प्रतिशत धनराशि औद्योगिक क्षेत्र के भीतर ही नागरिक सुविधाओं की पूर्ति, रख-रखाव पर खर्च की जाएगी तथा शेष ४० प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

इस शासनादेश के जारी होने के बाद विगत लगभग ४ वर्षो से यह पाया गया है कि नगरीय निकाय की सीमा के भीतर स्थित यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक आस्थानों से यूपीएसआईडीसी द्वारा भी मेन्टिनेन्स चार्ज वसूला जा रहा है। इस प्रकार यूपीएसआईडीसी औद्योगिक आस्थानों के उद्यमी दोहरे मेन्टिनेन्स चार्ज की मार झेल रहे है।

आई०आई०ए० द्वारा यह मामला वर्ष २००३ से लगातार विभिन्न स्तरों पर उठाया जाता रहा है। आज तक विभिन्न आश्वासनों के उपरान्त भी समस्या का समाधान नही हो सका है। अतः हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान समयवद्ध तरीके से कराकर प्रदेश के उद्यमियों को राहत दिलाने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय

डी०एस०वर्मा
अधिशासी निदेशक